

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
एस.बी. सिविल अपील संख्या 5469/2024

राजपुताना ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसके मालिक भंवर सिंह चंपावत पुत्र श्री मालम सिंह चंपावत, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी 56, शिव कॉलोनी, शिक्षरगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके नोडल अधिकारी के माध्यम से, राजस्थान राज्य कार्यालय, इंडियन ऑयल भवन, आदर्श नगर रोड, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर, राजस्थान 302004
2. आगोलाई गुड्स कैरियर, जिसका मुख्य व्यवसाय स्थान ए 13, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर है अपने भागीदारों के माध्यम से - 2/1 श्रीमती मोनिका चौधरी पत्नी मुकेश चौधरी, उम्र 36 वर्ष, 2/2 श्री बरकत खान पुत्र बकू खान, उम्र 52 वर्ष 2/3 श्री सरूप राम बिश्नोई पुत्र परहलाद राम बिश्नोई, उम्र 42 साल
3. मेसर्स जेठी देवी, इसकी मालिक श्रीमती जेठी देवी पत्नी ओ पुखराज चौधरी, निवासी दुग्ध कॉलोनी के पीछे, बालोतरा जिला बाडमेर (राज.)के माध्यम से।
4. रामनिवास चौधरी, प्रबंधक (संचालन), इंडियन ऑयल निगम डिपो, सालावास, जिला जोधपुर (राज.)।
5. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अपने सचिव के माध्यम से, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, इंडियन ऑयल भवन, यूसुफ सराय, नई दिल्ली - 110016
6. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ए ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, फ़र्थ फ़्लोर, सेमिनरी हिल्स, नागपुर - (महाराष्ट्र)।
7. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन), उत्तरी सर्कल, हॉल नंबर 502 और 502, लेवल- 5, ब्लॉक II, पुराना सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच 4, फरीदाबाद, पिन 121001

-----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री सुनील जोशी श्री ऋतु राज सिंह राठौड़
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री मुकेश राजपुरोहित, डिप्टी एस.जी. सुश्री डिम्पल राजपुरोहित श्री निशांत बोरा श्री संजीत पुरोहित जी के साथ श्री मुदित नागपाल.

माननीय सुश्री न्यायमूर्ति रेखा बोराणा
आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

08/08/2024

1. वर्तमान रिट याचिका में निम्नलिखित राहतों का दावा किया गया है:
 - i. निविदा आमंत्रण सूचना संख्या RCC/NR/RSO/OPS/PT-105/21-22 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को जारी किए गए LOI को कृपया रद्द किया जाए और अपास्त किया जाए
 - ii. दिनांक 20/5/22 (अनुलग्नक 2) के उचित रिट/आदेश/निर्देश स्पष्टीकरण पत्र द्वारा कृपया रद्द किया जाए और अपास्त किया जाए
 - iii. याचिकाकर्ता के पक्ष में LOI/कार्य आदेश जारी करने के लिए प्रतिवादी निगम को उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करें।
 - iv. प्रतीक्षा सूची में अगले उम्मीदवार/फर्म के पक्ष में LI/कार्य आदेश जारी करने के लिए प्रतिवादी निगम को उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करें।
 - v. प्रतिवादी निगम को दिनांक 1/11/21 (अनुलग्नक 8) के विसंगति पत्र को पीईएसओ लाइसेंस के रूप में न मानने के लिए एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करें।
 - vi. प्रतिवादी संख्या 5 को दोषी अधिकारियों और प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ उचित जांच शुरू करने का निर्देश देते हुए परमादेश की

प्रकृति में एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करें, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 3 को अवैध रूप से एलओआई जारी किए गए थे;

vii. प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को भविष्य की बोली लगाने से अयोग्य घोषित करने और प्रतिवादी संख्या 1 को अन्य बोलीदाताओं के साथ याचिकाकर्ता की बोली पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करें;

viii. कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, कृपया याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाए;

ix. याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद 'आईओसीएल' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी एनआईटी के अनुसरण में, निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद, मई 2022 के महीने में प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पक्ष में कार्य आदेश जारी किए गए थे। वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा उक्त कार्य आदेशों को चुनौती देते हुए सिविल रिट याचिका संख्या 6816/2022 प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिट याचिका में उठाया गया आधार यह था कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पास बोली प्रस्तुत करने की तिथि पर वैध पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (जिसे आगे 'पीईएसओ' कहा जाएगा) लाइसेंस नहीं था और इसलिए बोली/निविदा दस्तावेज के खंड 21 के अनुसार उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को दिनांक 18.09.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया और इसके खिलाफ डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 787/2023 के तहत विशेष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया:

"काफी समय तक मामले पर गुण-दोष के आधार पर बहस करने का प्रयास करने के बाद, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वह अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 6 और 7 द्वारा पारित दिनांक 20.05.2022 के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ इस अपील को वापस लेना चाहते हैं।

विशेष अपील रिट को वापस लेते हुए खारिज किया जाता है, यदि कानून ऐसा करने की अनुमति देता है तो इसके लिए प्रार्थना की गई स्वतंत्रता दी जाती है।"

3. माननीय खंडपीठ द्वारा दिनांक 20.05.2022 के आदेश को चुनौती देने के लिए दी गई कथित स्वतंत्रता के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका पेश की गई है।
4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि बोली/निविदा दस्तावेज के खंड 21 के अनुसार, निविदा दस्तावेज में उद्धृत टैंक ट्रकों के पास बोलियां जमा करने के समय पीईएसओ लाइसेंस, आरटीओ पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि जैसे वैध दस्तावेज होने चाहिए। उक्त खंड में आगे निर्धारित किया गया है कि निविदा के मूल्यांकन के दौरान लॉट-1 और लॉट-2 में अस्थायी पीईएसओ अनुमति पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बेशक, प्रतिवादी-फर्मों के पास आवेदन करते समय वैध पीईएसओ लाइसेंस नहीं था और उन्हें 15.11.2021 को ही वैध पीईएसओ लाइसेंस प्रदान किया गया था। किसी वैध पीईएसओ लाइसेंस के अभाव में, उनकी बोली का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था और परिणामस्वरूप, उनके पक्ष में कोई एलओए जारी नहीं किया जा सकता था।
6. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई पिछली रिट याचिका केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि पीईएसओ ने स्वयं अपने पत्र/आदेश दिनांक 20.05.2022 के माध्यम से स्पष्ट किया था कि 01.11.2021 को दी गई अनुमतियों को स्थायी लाइसेंस माना जाता है। चूंकि अनजाने में, 20.05.2022 के पत्र/आदेश को पिछली रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई थी, याचिकाकर्ता द्वारा इसे चुनौती देने की स्वतंत्रता मांगी गई थी और माननीय डिवीजन बेंच ने इसे प्रदान किया और इसलिए, 20.05.2022 के पत्र/आदेश को चुनौती दी जानी चाहिए।
7. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 6 और 7 की ओर से विद्वान उप मुख्य न्यायाधीश श्री मुकेश राजपुरोहित, निजी प्रतिवादी की ओर से श्री संजीत पुरोहित और आईओसीएल की ओर से श्री निशांत बोरा ने दलील दी कि वर्तमान रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह रचनात्मक निर्णय के सिद्धांत के अंतर्गत आती है।
8. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने दलील दी कि 20.05.2022 का पत्र/आदेश पहले से ही अस्तित्व में है और यहां तक कि पिछली रिट याचिका पर निर्णय लेते समय न्यायालय ने भी इस पर विचार किया था। बल्कि, उक्त आदेश को उक्त रिट

याचिका पर निर्णय के लिए आधार बनाया गया था। इसका अर्थ यह है कि याचिकाकर्ता उक्त आदेश से भली-भांति परिचित था, क्योंकि उक्त आदेश से संबंधित दलीलें पूरी तरह से प्रस्तुत की गई थीं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध थीं, लेकिन याचिकाकर्ता ने उस समय इसे चुनौती देने या इस पर कोई आपत्ति उठाने का विकल्प नहीं चुना। इसलिए, कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, जो प्रश्न मुकदमेबाजी के पिछले दौर में उठाया जा सकता था और उठाया जाना चाहिए था, यदि नहीं उठाया गया, तो उसे कानूनी रूप से नहीं खोला जाएगा और उसे उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

9. विद्वान अधिवक्ता श्री संजीत पुरोहित ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया:-

1. शिव चंद्र मोरे एवं अन्य बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं अन्य;
(2014) 11 एससीसी 744

2. फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं अन्य बनाम प्रभात मंडल (पंजीकृत),
अंधेरी एवं अन्य; (1986) 1 एससीसी 100

3. देवीलाल मोदी बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर, रतलाम एवं अन्य;
एआईआर 1965 एससी 1150

10. उपरोक्त प्रस्तुतियों का जवाब देते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुनील जोशी ने प्रस्तुत किया कि पिछली रिट याचिका में, दिनांक 20.05.2022 के दस्तावेज़ पर कोई निर्णय नहीं हुआ था और न्यायालय द्वारा केवल एक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया था। उक्त दस्तावेज़ को न तो उक्त रिट याचिका में चुनौती दी गई थी और न ही विवाद के निर्णय के लिए न्यायालय द्वारा इसकी सामग्री पर विचार किया गया था। इसलिए, न तो उक्त मुद्दा पहले की रिट याचिका में सीधे विचाराधीन था और न ही इसे स्पष्ट रूप से तय किया गया था ताकि रचनात्मक रिस जूडीकेटा संचालित हो सके।

11. अपने प्रस्तुतियों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दुर्गा प्रसाद @ दुर्गादास और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य; विविध याचिका संख्या 116/2020 जो 24.02.2022 को निर्णीत हुआ, के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया।

12. विद्वान अधिवक्ता ने याचिका के गुण-दोष पर कुछ तर्क आगे बढ़ाए, लेकिन यह न्यायालय बाद के पैरा में बताए गए कारणों से उन पर चर्चा नहीं कर रहा है।

13. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

14. वर्तमान मामले के तथ्यों के मद्देनजर, यह न्यायालय दिनांक 20.05.2022 के पत्र/आदेश के गुण-दोष पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि वर्तमान रिट याचिका स्पष्ट रूप से रचनात्मक रिस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत से प्रभावित है। ऐसा नहीं है कि दिनांक 20.05.2022 के स्पष्टीकरण पत्र/आदेश का तथ्य पहले की रिट याचिका संख्या 6816/2022 पर निर्णय लेते समय न्यायालय के समक्ष नहीं था।

रिट याचिका संख्या 6816/2022 में पारित दिनांक 18.09.2023 के निर्णय के पैरा 10.2 में निम्नवत लिखा है:

"10.2. यह न्यायालय आगे यह भी देखता है कि पीईएसओ (लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकरण) ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनुमति दिए जाने के बाद, केवल अंशांकन प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, और यह लाइसेंस जारी करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक अतिरिक्त पुष्टि थी, और इस प्रकार, अनुमति शुरू में एक महीने की अवधि के लिए दी गई थी; उसके बाद एक बार अंशांकन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, 15.11.2021 को 14.11.2026 तक वैधता के साथ लाइसेंस प्रदान किए गए; पीईएसओ द्वारा 20.05.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को 01.11.2021 को दी गई अनुमतियों के संबंध में एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि वे स्थायी लाइसेंस थे और इस प्रकार, उन्हें ऐसे ही माना जाना चाहिए; दिनांक 20.05.2022 के संचार का प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत है:

"कृपया विषय वस्तु के संबंध में अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 20/5/2022 का संदर्भ लें, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा 01/11/2021 को निम्नलिखित टैंकर में पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए अनुमति जारी की गई है-

.

इन टैंकरों के लिए उपरोक्त अनुमतियों को टैंकरों में पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन के लिए स्थायी लाइसेंस

माना जाएगा और इनका प्रभाव स्थायी लाइसेंस के समान ही होगा।”

15. उपरोक्त पैरा में न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का एक मात्र अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय ने विशेष रूप से दिनांक 20.05.2022 के स्पष्टीकरण पत्र पर विचार किया है। इसके अलावा, पैरा 10.4 में, न्यायालय ने दिनांक 20.05.2022 के उक्त स्पष्टीकरण पत्र पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

“10.4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय यह मानता है कि चूंकि 01.11.2021 को वर्ग ए/बी के पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने के लिए अनुमति दी गई थी, और आगे, 20.05.2022 को, पीईएसओ ने स्वयं स्पष्ट किया कि उक्त अनुमतियों को स्थायी लाइसेंस के रूप में माना जाना था, इसलिए, यह स्पष्ट है कि निविदा के खंड 21 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और उक्त अनुमतियां अस्थायी लाइसेंस नहीं थीं, जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया था।”

इसका अर्थ यह है कि 20.05.2022 के पत्र/आदेश की सामग्री को न केवल पहले की रिट याचिका में दलील दी गई थी, बल्कि दस्तावेज़ पर भरोसा भी किया गया था और उक्त रिट याचिका के निर्णय का आधार बनाया गया था। इसलिए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता को मुकदमे के पहले दौर के दौरान दिनांक 20.05.2022 के स्पष्टीकरण पत्र के बारे में पता नहीं था या उसके पास इसे चुनौती देने का कोई अवसर/स्वतंत्रता नहीं थी।

16. बेशक, स्पष्टीकरण पत्र 20.05.2022 को जारी किया गया था और रिट याचिका पर 18.09.2023 को फैसला किया गया था। यह विवाद में नहीं है कि उक्त स्पष्टीकरण पत्र को पहले की रिट याचिका में रिकॉर्ड पर रखा गया था। यदि याचिकाकर्ता इससे व्यथित होता, तो वह उसी स्तर पर इसे चुनौती दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा करना पसंद नहीं किया। जो भी हो।

17. जहां तक माननीय खंडपीठ द्वारा दिनांक 20.05.2022 के स्पष्टीकरण पत्र/आदेश को चुनौती देने के लिए दी गई कथित स्वतंत्रता का संबंध है, इसे माननीय खंडपीठ द्वारा दी गई व्यापक स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। माननीय खंडपीठ द्वारा पारित आदेश (जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में पुनः प्रस्तुत किया गया है) के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20.05.2022 के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ अपील वापस लेने की प्रार्थना किए जाने पर, विशेष अपील को वापस लिए जाने के रूप में खारिज

कर दिया गया, जैसा कि प्रार्थना की गई थी, एक परंतुक के साथ, यदि कानून ऐसा करने की अनुमति देता है। इसका अर्थ यह है कि यह माननीय खंडपीठ द्वारा दी गई व्यापक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि इस शर्त के अधीन थी कि यदि कानून के तहत इसकी अनुमति थी।

18. जहां तक कानून की स्थिति का सवाल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी (सुप्रा) के मामले में निम्न प्रकार से निर्णय दिया:

“ एक निर्णय न केवल वास्तविक निर्धारित मामले के संबंध में निर्णायक और अंतिम होता है, बल्कि हर अन्य मामले के संबंध में भी होता है, जिस पर पक्षकारों को मुकदमा करना चाहिए था और जिसे मुकदमे के विषय-वस्तु से संबंधित या अनिवार्य रूप से संबंधित माना गया था और हर मामला जो दावे या बचाव के मामलों के संबंध में मूल कार्रवाई के वैध दायरे में आता है। स्पष्टीकरण IV में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि जहां पक्षों को किसी मामले का विरोध करने का अवसर मिला है, उसे उसी तरह माना जाना चाहिए जैसे कि मामला वास्तव में विवादित और तय किया गया था।”

19. देवीलाल मोदी (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट कार्यवाही के लिए रचनात्मक रिस जुडिकाटा के सिद्धांत की प्रयोज्यता के पहलू से निपटते हुए, निम्नानुसार टिप्पणी की:

“ यह नियम यह मानता है कि यदि किसी पक्ष द्वारा उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच कार्यवाही में दलील दी जा सकती है, तो उसे उसी पक्ष के खिलाफ उसी कार्यवाही में उस दलील को लेने की अनुमति नहीं होगी, जो उसी कार्रवाई के कारण पर आधारित है; लेकिन मूल रूप से, यह दृष्टिकोण भी सार्वजनिक नीति के समान विचारों पर आधारित है, क्योंकि यदि रचनात्मक रिस जुडिकाटा के सिद्धांत को रिट कार्यवाही पर लागू नहीं किया जाता है, तो पार्टी के लिए एक के बाद एक कार्यवाही करना और हर बार नए आधारों का आग्रह करना खुला होगा; और यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नीति के विचारों के साथ असंगत है, जिसका हमने अभी उल्लेख किया है।”

20. उपरोक्त सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिव चंद्र मोरे (सुप्रा) के मामले में दोहराया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना था:

“24. इस न्यायालय के उपरोक्त आधिकारिक निर्णयों के आलोक में अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क देना अब संभव नहीं है कि रचनात्मक न्यायिक सिद्धांत उन्हें उस प्रश्न को उठाने से नहीं रोकेंगे, जिसे, जैसा कि पहले देखा गया है, मुकदमेबाजी के पिछले दौर में उनके द्वारा उठाया जा सकता था और वास्तव में उठाया जाना चाहिए था। इस मामले के मद्देनजर, उच्च न्यायालय यह मानने में पूरी तरह से न्यायसंगत था कि उपराज्यपाल बनाम शिव चंद्र मोरे में इस न्यायालय के दिनांक 9-4-2008 के आदेश द्वारा उन्हें दी गई स्वतंत्रता के कथित प्रयोग में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई जाने वाली दलील कानूनी रूप से खुली नहीं थी और इसे आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

21. उपर्युक्त उदाहरणों से कानून की जो स्थिति उभरती है, उसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) जहां पक्षकारों को किसी मामले पर विवाद करने का अवसर मिला हो, तो उसे वैसा ही माना जाना चाहिए मानो मामला वास्तव में विवादित हो गया हो और उस पर निर्णय हो गया हो।

(ii) जो प्रश्न मुकदमेबाजी के पिछले दौर में उठाया जा सकता था और वास्तव में उठाया जाना चाहिए था, यदि नहीं उठाया गया, तो वही कानूनी रूप से खुला नहीं होगा और बाद के मुकदमेबाजी में उसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, रचनात्मक रिस जुडिकाटा का सिद्धांत ऐसा करने से रोकेगा।

(iii) यदि किसी पक्ष द्वारा उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच कार्यवाही में दलील दी जा सकती थी, तो उसे उसी पक्ष के खिलाफ उसी कार्यवाही में उस दलील को लेने की अनुमति नहीं होगी जो उसी कार्यवाही के कारण पर आधारित है।

(iv) रचनात्मक रिस जुडिकाटा का सिद्धांत रिट कार्यवाही पर भी लागू होगा क्योंकि यदि इसे लागू नहीं किया जाता है, तो यह पक्ष के लिए एक के बाद एक कार्यवाही करने और हर बार नए आधारों का आग्रह

करने के लिए खुला होगा जो सार्वजनिक नीति के विचारों के साथ असंगत होगा।

22. कानून की उपरोक्त स्थापित स्थिति के मद्देनजर, यह न्यायालय स्पष्ट रूप से मानता है कि दिनांक 20.05.2022 के स्पष्टीकरण पत्र/आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा मुकदमे के पहले दौर में चुनौती दी जा सकती थी। ऐसा न किए जाने के कारण, अब याचिकाकर्ता के लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि रचनात्मक न्यायिक सिद्धांत उसे उक्त प्रश्न उठाने/उक्त आदेश को चुनौती देने से नहीं रोकेंगे।

23. जहां तक दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गादास (सुप्रा) के मामले में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णय का संबंध है, वह याचिकाकर्ता के लिए किसी भी तरह से मददगार नहीं होगा क्योंकि उसमें, प्रश्नगत आदेश एक गैर-बोलने वाला आदेश था, जिसमें उन आधारों या कारणों को इंगित किए बिना किया गया था जिनके आधार पर मुकदमे के पहले दौर में निर्णय पारित किया गया था।

इसलिए, न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि मुकदमे के पहले दौर में दिया गया आदेश रचनात्मक निर्णय के रूप में कार्य करेगा।

24. उपरोक्त विश्लेषण और कानून की स्थापित स्थिति को देखते हुए, यह न्यायालय दिनांक 20.05.2022 के स्पष्टीकरण पत्र/आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है और इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है।

25. स्थगन याचिका और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(रेखा बोराणा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।